सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीया

1. प्रेमदेवी पुत्री नहनूराम पत्नी नाथूराम जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा की ढाणी ग्राम कानोता हाल निवासी बाढ देवरी शिप्रापथ थाने के पिछे सरकारी स्कूल के पास मानसरोवर जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. लादूराम पुत्र नहनू जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा की ढाणी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कानाराम पुत्र नहनू जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा की ढाणी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. बद्री पुत्र नहनू जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा की ढाणी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. हजारी पुत्र नहनू जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा की ढाणी ग्राम कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।
6. उपपंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

मुकदमा न0 22/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे ..... वादीया व ..... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि खसरा नम्बर 179/1 को छोड़कर अन्य खसरा नम्बर 220/2 रकबा 0.2529 है0, ख.न. 262/3 रकबा 0.5311 है0 में से ख.न. 220/2 रकबा 0.2023 है0, ख.न. 262/3 रकबा 0.4249 है0 की खातेदार कानाराम पुत्र नहनूराम हिस्सा 1/4, बद्री पुत्र नहनूराम हिस्सा 1/4, लादूराम पुत्र नहनूराम हिस्सा 1/4, हजारी पुत्र नहनूराम हिस्सा 1/4 जाति बैरवा सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.न. 220/4 रकबा 0.0506 है0, ख.न. 262/4 रकबा 0.1062 है0 की भूमि खातेदार प्रेम पुत्री नहनू हिस्सा सम्पूर्ण जाति बैरवा सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। खातेदार बद्री पुत्र नहनूराम के फोत होने पर उनके विधिक वारिसान की जॉच कर उनके नाम नियमानुसार नामांतरण खोले तत्पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जावे। तहसीलदार बस्सी के पत्रांक भू0अ0/2022/8395 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अनन्य भाग रहेगा। .....निजि..... मुवकिल.....बाबत.....खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/10/2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....

ओहदा.....उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला–जयपुर

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिए दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जयपुर ग्रामीण